

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)**

C.W.J.C.NO. OF 2014

Shivanand Kanta Kanya Uchcha Vidyalay & Ors.

-----Petitioners

Vs.

Bihar School Examination Board & Ors.

-----Respondents

SUBJECT- Examination Matter

INDEX

Sr.No.	Particulars	Page No.
1.	An Application under Article 226 of the constitution of India along with duly sworn Affidavit.	1-21
1.	Annexure-1 A Photo copy of the letter dated 26.06.2013	22-24
2.	Annexure-2 A Photo copy of the letter dated 01.08.2013	25-
3.	Annexure-3 A Photo copy of the letter dated 06.08.2013	26-
4.	Annexure-4 A Photo copy of the report dated 22.08.2013	27
5.	Annexure-5 A Photo Copy of the letter dated 26.08.2013	28
6.	Annexure-6 A Photo copy of the letter dated 26.08.2013	29
7.	Annexure-7 A Photo copy of the letter dated 14.11.2013	30
8.	Annexure-8 A Photo copy of the letter dated 14.11.2013	31
9.	Annexure-9 A Photo copy of the Communique	32-
10.	VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.NO. OF 2014

Shivanand Kanta Kanya Uchcha Vidyalay & Ors.

-----Petitioners

Vs.

Bihar School Examination Board & Ors.

-----Respondents

SUBJECT- Examination Matter

SYNOPSIS

LIST OF DATES

- 26.06.2013: The Board directed for constitution of a three men enquiry committee for verification of the genuineness of the students admitted in different Schools.
- 01.08.2013: The District Education Officer directed the District Programme Officer, Accounts & Planning, Madhepura to place the duly filled up O.M.R. Forms as submitted by the School to the duly constituted Enquiry Committee.
- 06.08.2013: The District Education Officer, Madhepura communicated to all the Heads of all the Schools informing therein that different dates have been fixed for verification of the genuineness of the candidature of the Regular and independent students.
- 22.08.2013: The Enquiry Committee after due verification of the relevant records as produced by the Petitioners submitted its report enclosing all the relevant documents as submitted by the Petitioners.

- 26.08.2013: The District Programme Officer (Madhyamik Shiksha), Madhepura sent the enquiry report as submitted by duly constituted three members enquiry committee to the Secretary of the Bihar School Examination Board, Patna.
- 26.08.2013: The Office of the District Education Officer, Madhepura, Branch – Madhyamik Shiksha sent the filled up OMR Forms related to registration of the students of the Petitioners Institution and others alongwith the requisite Fee through Bank Challan
- 14.11.2013: The District Programme Officer addressed to the heads of several schools including Petitioner No. 7 stating therein that as per the direction of the District Magistrate, the Transfer Certificate of several examinees of 2014 has been enquired by the Block Education Officer and after verification it has been found that the T.C. Certificate of some of the students are not genuine.
- 14.11.2013: The District Programme Officer directed all the Block Education Officer to lodge F.I.R. against those Heads of the Schools who have been found to have taken Admission on the basis of forged Transfer Certificate.
- 09.01.2014: A Communique has been published in daily news Paper "Hindustan" with regard to the Programme related to submission and acceptance of Form for Annual Secondary Examination 2014.
- 06.03.2014: Annual Secondary Examination 2014 has to commence.

Hence this Writ Petition.

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)**

C.W.J. C. NO.

of 2014

In the matter of an Application
Under Article 226 of the
Constitution of India.

And

In the matter of:

1. Shivanand Kanta Kanya Uchcha Vidyalay, Khurhan, Madhepura through its Head Master, Mani Bhushan Singh, aged about 50 Years, Son of Jagannath Singh, Resident of Village – Khurhan, P.O. – Khurhan, P.S. – Alam Nagar, District – Madhepura.
2. Rajnandan Prasad Uchcha Vidyalay, Pratap Nagar, Madhepura through its Head Master, Kumar Murlidhar, aged about 36 Years, Son of Basudev Prasad Yadav, Resident of Village – Pratap Nagar, P.O. – Gangapur, P.S. – Murliganj, District – Madhepura.
3. Smt. Damyanti Balika Uchcha Vidyalay, Udakishunganj, Madhepura through its Head Mistress, Kiran Prakash, aged about 46 Years, Wife of Dr. Bindeshwar Prakash, Resident of Village –

- Udakishunganj, P.O. – Udakishunganj, P.S. – Udakishunganj, District – Madhepura.
4. Dr. Ram Manohar Lohiya Uchcha Vidyalay, Sahugarh, Madhepura through its Head Master, Upendra Narayan Yadav, aged about 59 Years, Son of Jhabbu Prasad Yadav, Resident of Village – Sahugarh Diwani Tola, P.O. – Sahugarh Diwani Tola, P.S. – Madhepura, District – Madhepura.
 5. Shri Hajarimal Surajmal Patwari Uchcha Vidyalay, Puraini, Madhepura through its Head Master, Dilip Kumar, aged about 52 Years, Son of Ramesh Prasad Yadav, Resident of Village – Dumrail, P.O. – Puraini, P.S. – Puraini, District – Madhepura.
 6. Gokhul Bhagat Uchcha Vidyalay, Bhatgama, Madhepura through its Head Master, Shashi Shekhar Sudhakar, aged about 44 Years, Son of Kanhaiya Prasad Yadav, Resident of Village – Chamgarh, P.O. – Chamgarh, P.S. – Murliganj, District – Madhepura.
 7. Yogmaya Uchcha Vidyalay, Jhalari, Madhepura through its Head Mistress, Rashmi Rani, aged about 43 Years, Wife of Rajesh Kumar, Resident of Village – Jhalari, P.S. – Gwalpara, District – Madhepura.
 8. K.P.A.K. Uchcha Vidyalay, Bakhgarha, Madhepura through its Head Master Madan Lal Mahto, aged about 48 Years, Son of Ram Joti Mahto, Resident of Village – Barahi, P.O. – Anandpura, P.S. – Udakishunganj, District – Madhepura.
 9. Baleshwar Jha Uchcha Vidyalay, Ghailarh, Madhepura through its Head Master, Subhash Chandra, aged about 33 Years, Son of

Lalendra Kumar, Resident of Village – Parmanpur, P.O. –
Bhatraundha, P.S. – Dhailarh, District – Madhepura.

..... Petitioners

V E R S U S

1. Bihar School Examination Board through its Secretary,
Buddha Marg, Patna.
2. The Chairman, Bihar School Examination Board, Buddha Marg,
Patna.
3. The Secretary, Bihar School Examination Board, Buddha Marg,
Patna.
4. The State of Bihar through the Principal Secretary, Education
Department, Govt. of Bihar, New Secretariat, Patna.
5. The District Magistrate, Madhepura.
6. The Senior Deputy Collector, Madhepura.
7. The District Programme Officer (Madhyamik Shiksha),
Madhepura.
8. The District Education Officer, Madhepura.
9. The Block Education Officer, Alam Nagar, Madhepura.
10. The Block Education Officer, Murliganj, Madhepura.
11. The Block Education Officer, Udakishunganj, Madhepura.
12. The Block Education Officer, Madhepura.
13. The Block Education Officer, Puraini, Madhepura.
14. The Block Education Officer, Chausa, Madhepura.
15. The Block Education Officer, Gwalpara, Madhepura.
16. The Block Education Officer, Ghailarh, Madhepura.

----- Official Respondents

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf
of the petitioners named above,

Most Respectfully Sheweth:

- 1.** That the Petitioners are invoking the writ jurisdiction of this Hon'ble Court for the following reliefs:
 - a.** For issuance of an appropriate writ/writs, order/orders or direction/directions in the nature of Mandamus commanding the Respondent Board to issue the necessary registration slip providing the Registration number of the students of the Petitioners' Institution for which the requisite Fee has already been accepted by the Respondent Bihar School Examination Board.
 - b.** For issuance of an appropriate writ/writs, order/orders or direction/directions in the nature of Mandamus commanding the Respondent Board to issue and accept the Examination Fee and Form of the students of the Petitioners' Institution and allow them to appear in the Annual Examination 2014 to be held by the Respondent

Bihar School Examination Board as announced to be commenced from 06.03.2014.

- c. For issuance of an appropriate writ holding and declaring the inaction on the part of Respondent Board to be wholly illegal, malafide and discriminatory.
 - d. For issuance of any other order/orders or relief/reliefs for which the petitioners may found to be entitled in the facts and circumstances of the case.
2. That the Petitioners are Institutions duly represented by its Head Master who are citizen of India and who have been duly authorized to pursue the instant matter for the aforesaid reliefs by filing the present Writ Petition before this Hon'ble Court and as such invoke extraordinary Jurisdiction of this Hon'ble Court for redressal of their grievances.
3. That the Petitioners are Schools having due permission of establishment by the Bihar School Examination Board and as such has due recognition of the Board. The Petitioners have been allotted/provided different Code numbers by the Bihar School Examination Board hereinafter referred to as 'Board'. The Petitioners since having due infrastructure as prescribed by different Rules/Regulations/Circulars have

been allotted different Code numbers by the Board. The Petitioners are running their respective Institutions in accordance with the guidelines as provided from time to time by the Board as well as by the State Govt.

4. That the Petitioners have taken Admission of students in their respective Schools in accordance with law. As per the decision taken by the Managing Committee vide its different Resolutions, the students were admitted in the School in Std. IXth as a first entrance and by filling up of declaratory Form. The Petitioners took Admission of the students in Std. IXth on the basis of test. The students however submitted their entire documents including the Transfer Certificate in Original before the authorities of the School after getting successful in the entrance test and then the Admission of the students were taken by the School.
5. That the District Education Officer vide its office order as contained in Memo No. 1711 dated 01.08.2013 directed the District Programme Officer, Accounts & Planning, Madhepura to place the duly filled up O.M.R. Forms as submitted by the School to the duly constituted Enquiry Committee. From perusal of the contents of the aforesaid office order, it would appear that an enquiry committee has been constituted for verification of the genuineness of registration of Regular as well as independent students for appearing in the Annual Secondary Examination 2014

conducted by the Board. The aforesaid Committee has been constituted pursuant to the direction of the Board as contained in letter no. 427 dated 26.06.2013.

A Photo Copy of the letter dated 26.06.2013 as well as letter dated 01.08.2013 are annexed herewith and marked as Annexure - 1 & 2 to this Writ Petition.

6. That the enquiry Committee of District Education Officer, Madhepura as Convenor, Senior Deputy Collector, Madhepura and District Programme Officer, Accounts and Planning, Madhepura was constituted for verification of the genuineness of the Regular and independent students of the district of Madhepura for registration. All the Heads of the schools of the district of Madhepura were directed that in compliance of the letter dated 26.06.2013 of the Chairman of the Board, the O.M.R. Forms should be filled up. The aforesaid Office order dated 01.08.2013 was communicated to all the Head Masters of the School of Madhepura for information and necessary compliance.
7. That the District Education Officer, Madhepura vide its letter no. 1752 dated 06.08.2013 communicated to all the Heads of all the Schools informing therein that different dates have been fixed for verification of the genuineness of the candidature of the Regular and independent students. Blockwise dates were fixed for verification starting from

13.08.2013 to 21.08.2013. It was directed by the aforesaid letter that all the necessary records related to the point as mentioned in the letter of the Board dated 26.06.2013 should be produced before the enquiry committee so that after due verification by the committee, necessary steps may be taken to forward the Registration Forms as submitted by the School.

A Photo Copy of the letter dated 06.08.2013 is annexed herewith and marked as Annexure - 3 to this Writ Petition.

8. That the Petitioners after the receipt of the aforesaid communication dated 06.08.2013 of the District Education Officer, Madhepura and in compliance of the same presented himself before the duly constituted enquiry committee with all the necessary required records for its perusal and verification so that they can verify the genuineness of the admitted students. The representative of the Petitioners presented themselves on the scheduled prescribed date i.e. 14.08.2013, 19.08.2013, 17.08.2013, 21.08.2013, 14.08.2013, 13.08.2013, 13.08.2013, 17.08.2013 & 16.08.2013 respectively. The Petitioners' Institution are in Alam Nagar Block, Murliganj Block, Udakishunganj Block, Madhepura Block, puraini Block, Chausa Block, Gwalpara Block, Udakishunganj Block and Ghailarh Block respectively.

9. That the representative of the Petitioners' Institution furnished the entire records as required under the letter dated 26.0.2013 including Admission Register, Boys Attendance Register, Cash Book, Pass Book Of Bank Account, T.C. Guard File Declaratory Form etc. All the relevant documents as submitted by the Petitioners Institution were duly verified and scrutinized by the members of the duly constituted Enquiry Committee.
10. That the Enquiry Committee after due verification of the relevant records as produced by the Petitioners submitted its report dated 22.08.2013 enclosing all the relevant documents as submitted by the Petitioners. It was specifically mentioned in the said report that the students have not been registered by the School as independent students. The Enquiry team further mentioned that after due verification of the records as submitted by the Petitioners' Institution, it reveals that the Registration Forms have been filled up of those students who have been duly admitted by the Schools.

A Photo Copy of the report dated 22.08.2013 is annexed herewith and marked as Annexure - 4 to this Writ Petition.

11. That since the enquiry committee found the candidature of the students of the Petitioners to be genuine and as such

OMR Forms were issued by the Respondents to the Petitioners for registration of the admitted students. The O.M.R. Forms were duly filled up by the students of the Petitioners' Institution and after due attestation by the Head of the School, the same was submitted to the office of District Programme Officer.

12. That the District Programme Officer (Madhyamik Shiksha), Madhepura vide its letter bearing no. 142 (Uchha) dated 26.08.2013 sent the enquiry report as submitted by duly constituted three members enquiry committee to the Secretary of the Bihar School Examination Board, Patna. The aforesaid communication was made in compliance of the letter dated 26.06.2013 of the Board.

A Photo Copy of the letter dated 26.08.2013 is annexed herewith and marked as Annexure - 5 to this Writ Petition.

13. That the Office of the District Education Officer, Madhepura, Branch - Madhyamik Shiksha vide its letter no. 143 (Uccha) dated 26.08.13 issued under the signature of the District Programme Officer, Madhyamik Shiksha, Madhepura addressed to the Secretary of the Respondent Board sent the filled up OMR Forms related to registration of the students of the Petitioners Institution and others alongwith the requisite Fee through Bank Challan. The District

Programme Officer sent the aforesaid documents relating to the registration of the students to the office of the Board through its special messenger. The District Programme Officer forwarded the aforesaid documents enclosing the Report of three men enquiry committee.

A Photo Copy of the letter dated 26.08.2013 are annexed herewith and marked as Annexure - 6 to this Writ Petition.

14. That after submission of O.M.R. Forms for registration, the Respondent Board issued the Check List mentioning each and every details of the students and the said Check List was sent to the District Programme Officer with a direction to hand it over to the Heads of the schools to meet or certain clerical/printing errors if any in the description of students.
15. That the aforesaid Check List was provided to the authorized representatives of the Petitioners for sorting any clerical/printing errors. The Petitioners after due certification of the said Check List submitted the same to the D.P.O. pointing the errors if any in the Check List. The aforesaid Check List duly certified by the Heads of the Schools have been forwarded by the D.P.O. to the Respondent Board but till date the Registration Numbers have not been issued so that the students of the Petitioners'

Institution can fill up their examination Form to appear in the Annual Secondary Examination scheduled in the month of March 2014.

16. That so far as the genuineness of the students admitted in the Institution is concerned, the entire exercise has been completed by three member enquiry committee and the report has already been submitted and that too as per the specific direction of the Board but all of a sudden, the District Programme Officer vide its letter no. 405 dated 14.11.2013 addressed to the heads of several schools including Petitioner No. 7 stating therein that as per the direction of the District Magistrate, the Transfer Certificate of several examinees of 2014 has been enquired by the Block Education Officer. In the said letter, it is also mentioned that after verification it has been found that the T.C. Certificate is not genuine. The Heads of Schools were asked to submit their reply to the show cause by the said letter that why necessary Departmental as well as legal action be not initiated against them for taking Admission on Forged Transfer Certificate. The Head of the Institutions were given three days time for submitting their reply and explanation.

A Photo Copy of the letter dated 14.11.2013 is annexed herewith and

marked as Annexure - 7 to this Writ Petition.

17. That the Respondents posted at Madhepura are so biased for the reason best known to them and well apparent from the fact that though by the aforesaid letter, they gave three days time to furnish the reply but on the same very date i.e. by letter no. 406 dated 14.11.2013 itself directed all the Block Education Officer to lodge F.I.R. against those Heads of the Schools who have been found to have taken Admission on the basis of forged Transfer Certificate. The Respondents in compliance of the said letter, has already lodged F.I.R against the Heads and several Members of the Managing Committee of the Schools at Madhepura.

A Photo Copy of the letter dated 14.11.2013 is annexed herewith and marked as Annexure - 8 to this Writ Petition.

18. That the Petitioners however have submitted their reply before the concerned Block Education Officer vide their different letters explaining each and every aspect pursuant to the show cause dated 14.11.2013. The Petitioners have brought to their notice that pursuant to the decision taken by the Managing Committee of the School , the Admission were taken on obtaining Declaratory Form as a first entrance in Std. IXth and further more it specifically stated in the reply that the three men enquiry committee has

already verified the genuineness of the students of the Petitioners Institutions and on the basis of the same, OMR Form for registration has already been issued and the filled up OMR Forms have already been accepted and forwarded to the Board. The necessary Fee of Registration has already been accepted by the Board. The Check List has already been issued and now at this stage, it can not be said that the Admissions were taken on the basis of forged Transfer Certificate. The Petitioner also mentioned in the said reply the benefit of several schemes have also been given to some of the students as per the policy decision of the State Govt.

- 19.** That the Respondent Board has issued a Communique bearing Advertisement No. 04/2014 on 09.01.2014 in daily news Paper "Hindustan" with regard to Annual Secondary Examination 2014. From the perusal of the said Communique, it would reveal that the Annual Secondary Examination is going to commence from 06th of March 2014. The Programme has been given with regard to issuance and acceptance of Examination Form from the office of the District Education Officer. The Petitioners bring on record the aforesaid Communique for perusal of the same.

A Photo Copy of the Communique is annexed herewith and marked as Annexure - 9 to this Writ Petition.

20. That it would be pertinent to state here that once the duly constituted Committee duly authorized by the Board had already made its due enquiry and due verification and have submitted report then there was absolutely no occasion for the District Magistrate, Madhepura to suo moto look into the issue and without even giving any opportunity of hearing to the concerned Schools and even without doing any proper enquiry or verification must not have reached to the conclusion that the Transfer Certificate as submitted by the Students were forged one.
21. That neither any show cause notice nor any opportunity of hearing has either been provided to the Petitioners' Institution nor to the concerned students before reaching to the conclusion that the Transfer Certificates as submitted by some of the students are forged.
22. That the Respondents can not play with the career of the students at this stage. If any verification had to be done then it should have been done at the initial stage and not at this stage of examination rather the fact is that the students have been admitted in the Institution as per the declaratory Form submitted by the students as a 1st entrance in Std. IXth in the School which is wholly supported from the circular of the State Govt. as issued in the year 2003. The District Magistrate and his subordinates are not giving reliance on the circular of the State Govt. bearing letter no.

257 dated 07.05.2003 issued by the Secretary of Secondary Education to all the District Magistrates of the State and that circular is still in force.

23. That at this stage, it would be pertinent to state here that neither the Board nor the State Govt. has issued/communicated any guidelines to the Schools like the Petitioners mentioning the guidelines or procedures with regard to Admission of students. No communication has ever been made by the Respondents with regard to any verification of Transfer of Certificate submitted by the students and for the first time, this system has been developed. The petitioners under genuine belief accepted the Certificates as submitted by the Students at the time of taking Admission. The Transfer Certificate was accepted by the Petitioners in Original from the students at the time of Admission.
24. That in the garb of such ex-parte report of the District Magistrate, all the students of the Institutions are suffering and their career is at stake for no fault on their part. The Heads of the Institution are also fleeing because of the F.I.R. lodged by the authorities on erroneous grounds.
25. The Respondent Board can not sit over the matter after acceptance of OMR Forms for registration and that too after due verification by a three men enquiry committee and

even after acceptance of the Fees of Registration. The acts of the Respondents amount to promissory estoppel.

26. That the students of the Petitioners' Institution whose Registration Forms have been submitted have pursued their regular studies in the School and have passed the internal examination held by the Schools.
27. That the Petitioners have approached from pillar to post for redressal of their grievances but the authorities are giving deaf ear on the representation of the petitioners.
28. That a statutory authority like the Respondent Board can not act in a manner in which it is acting and has no right to play with the career of the innocent and bonafide students who have pursued their studies in the Petitioners School.
29. That the careers of the students are at stake for no fault on their part but rather for the laches or inaction on the part of the Respondent board, the students are suffering. The future of the students are at dark and their young career are spoiled if the necessary Registration Number as well as Examination form would not be issued and then accepted by the board.

30. That since the registration fee were deposited by the within time alongwith filled up OMR duly forwarded by the District Education Officer to the Respondent Board, the Board is obliged to issue the Registration number and also issue and accept the Examination Form as well as Examination Fees so that they can appear in the examination to be conducted by the board.
31. That due to the lethargic and callous approach of the Respondents, the atmosphere in the School has become worse and even the image of the Schools at Madhepura is being tarnished by such acts of the Respondents.
32. That in the facts and circumstances of the case, it is just and expedient in the interest of justice, fair play and equity that this Hon'ble Court may interfere in the matter and direct the Board to issue the Registration number of the Students of the Petitioners' Institution and further issue and accept the Examination Forms so that they can appear in the examination scheduled to commence in the month of March 2014.
33. That the action of the Respondents are wholly arbitrary, illegal and malafide and is in teeth of principles of natural justice and also amounts to Promissory Estoppels.

34. That the inaction on the part of the Respondents are Writ large and this court must exercise its Jurisdiction under Article 226 of the constitution of India.
35. That the Petitioners crave leave of this Hon'ble Court to bring on record all other relevant documents about which discussion have been made in the present Writ Petition by way of supplementary Affidavit as and when required by this Hon'ble Court at the time of hearing of the Case.
36. That the petitioners have not moved this Hon'ble Court for the reliefs sought for through the instant petition on any earlier occasion.
37. That the petitioner has no other equally efficacious alternative remedy than to move before this Hon'ble court.

It is, therefore, prayed that your lordships may graciously be pleased to admit this application, issue rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs sought for in paragraph no.-1 of this writ application be not granted and on return of the rule and on such cause as may be shown and hearing the parties make the rule absolute.

And/Or

During the pendency of the Writ Petition, the Respondent Board be directed to issue the Examination Form of the students of the Petitioners' Institution.

And/Or

Pass such other order or orders as your lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

And for this the petitioners shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Mani Bhushan Singh, aged about 50 Years, Son of Jagannath Singh, Resident of Village - Khurhan, P.O. - Khurhan, P.S. - Alam Nagar, District - Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That, I am representing the Petitioner No. 1 in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That, I have read the contents of this petition and have understood the same and the statements made in paragraphs are true to my knowledge, information derived from records of the case and by way of submission before this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/photo copies of their respective originals.

मनि भूषण सिंह


Annexure-1

22

राज्य परीक्षा
संस्था SIND

संख्या 27/427

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



राज्य परीक्षा
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

V.V. Imp

Handwritten notes and signatures in Hindi, including '26.06.13' and 'SIND'.

- 1. सभी शिक्षा प्रदायिकाएँ
- 2. सभी शिक्षा विद्या प्रदायिकाएँ

विषय: वार्षिक माध्यमिक परीक्षा- 2013 में सम्मिलित होने हेतु विद्यालयों द्वारा सही अन्वर्धित दस्तावेजों के साथ-साथ विद्यार्थियों को पंजीयन के संबंध में।

मातृभाषा:

उपरोक्त विषय पर कहना है कि आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा- 2013 के लिए विद्यालयों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करनेवाले सभी कॉलेजों के शिक्षण संस्थानों (राज्य, राज्यीय/ राज्यकोषकृत/अल्पसंख्यक/प्रोजेक्ट/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अथवा क्षेत्रीय विद्यालय/ प्रखरीकृत/ सम्बंधित/ परियोजना/ स्वतंत्र/स्थान/ स्थान/ अनुसूचित/ साम्प्रदायिक-प्राथमिक आदि) के निम्नलिखित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों को पंजीयन के लिए सादा ओररगोआररों प्रपत्र आपके कार्यालय में विद्यार्थियों को वितरित किए जाने हेतु भेजे जा रहे हैं।

विद्यालयों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक है कि सही अन्वर्धित दस्तावेजों का ही संग्रहीत माध्यमिक परीक्षा हेतु किया जाए और इस कार्य में आपके संस्थानों के साथ-साथ पंजीयन प्रपत्र भराने की पूरी प्रक्रिया पर आपका तत्पर निगरानी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।

निम्नलिखित दिशुओं पर विशेष ध्यान देते हुए अपने क्षेत्रान्तर्गत शिक्षण माध्यमिक विद्यालयों में पंजीयन प्रपत्र भराने की कार्रवाई सुनिश्चित कराये जाये:-

- 1. ऐसा पाया जा रहा है कि राज्यीय/राज्यकोषकृत/अल्पसंख्यक मातृभाषा प्राथमिक परियोजना विद्यालय/ स्वतंत्र/स्थान/ विद्यालय/स्थान/ अनुसूचित प्राथमिक विद्यालय, किसी क्षेत्रीय संस्था, निजी विद्यालय या अन्य स्वतंत्र छात्र/छात्राओं को अपने विद्यालय में नियत रूप से नामांकित दिखाकर अपने विद्यालय से पंजीयन कराते हैं जबकि वास्तव में वे उक्त विद्यालय में पढ़न-पाठन नहीं करते हैं। इसकी जाँच अपने तार से नामांकन-पंजी एवं टी0 सी0 प्राप्त करके अपने तार/संस्था/ सम्बंधित पंजी के तहत प्रपत्र भराने के लिए विद्यार्थियों/छात्रों तथा अन्य अभिभावक से करवाये जाने आवश्यक है। इसे अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कराये जाये।

Handwritten notes at the bottom: 'Monitoring', 'Literally', and other signatures.

पत्रांक- के0/427

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ।

प्रेषक

मो0 राजमणि प्रसाद सिंह

अध्यक्ष

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ।

सेवा मे

1. सूची जिला पदाधिकारी
2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना दिनांक- 26.6.2013

विषय:- वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2014 मे सम्मिलित होने हेतु विद्यालयो द्वारा सही अभ्यर्थीयो वाले नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थीयो के पंजीयन के संबंध मे ।

महाशय

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा -2014 के लिए राज्य के माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के शिक्षण संस्थानो/यथाराजकीय /राजकीयकृत/अल्पसंख्यक/प्रोजेक्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय/प्रस्वीकृत /सम्पोषित/परियोजना/स्वत्वाधारक/स्थापना अनुमति/सम्बद्धता प्राप्त आदि/ के नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थीयो के पंजीयन के लिए सादाओ0एम0आर0 प्रपत्र आपके कार्यालय मे विद्यालयो को वितरित किए जाने हेतु भेजे जा रहे हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक है कि सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थी का ही पंजीयन माध्यमिक परीक्षा हेतु किया जाए और इस कार्य में आपके सहयोग के साथ साथ पंजीयन प्रपत्र भराने की पूरी प्रक्रिया पर आपका सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।

निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित माध्यमिक विद्यालयों में पंजीयन ओ.एम.आर. प्रपत्र भराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये :-

1. ऐसा पाया जा रहा है कि राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त परियोजना विद्यालय/स्वत्वधारक विद्यालय/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय किसी कोचिंग संस्था निजी विद्यालय या अन्य स्वतंत्र छात्र/छात्राओं को अपने विद्यालय में नियमित रूप से नामांकित दिखाकर अपने विद्यालय से पंजीकृत करा लेते हैं जबकि वास्तव में वे उक्त विद्यालय में पठन पाठन नहीं करते हैं। इसकी जांच अपने स्तर से नामांकन पंजी एवं टी.सी.गार्ड फाइल फीस बुक/रसीद उपस्थिति पंजी बैंक में शुल्क जमा करने की तिथि/राशि तथा अन्य अभिलेख से करायी जाये जिससे कि ऐसे अनियमित कार्य पर अंकुश लगायी जा सके ।

2. जिला स्थित सभी राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्याक/मान्यता प्राप्त परियोजना विद्यालय/स्वत्वधारक विद्यालय/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय आदि विद्यालयों से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 के लिए अग्रसारित पंजीयन ओ.एम.आर. /भरे गए ओ एम आर प्रपत्र/ को निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ~~प्रारम्भ~~ जांच के उपरांत ही अग्रसारित किये जाए ।

- क. विद्यालय में उपलब्ध सभी आधारभूत संरचना/सुविधा यथा विद्यालय में वर्गों और कुल उपलब्ध कक्षाओं तथा उनके आकार एवं उक्त कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था के अतिरिक्त विद्यालय के प्रस्वीकृति संबंधी शर्तों /यदि हो तां / के अनुरूप नामांकित छात्र/छात्राओं की नियमित उपस्थिति देखी जाए ।
- ख. विद्यालय में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या एवं उसके विरूद्ध पदस्थापित शिक्षकों की संख्या पंजीयन हेतु आवेदित विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु पर्याप्त हैं या नहीं ।
- ग. नामांकन पंजी एवं टी.सी. ~~गार्ड~~ फाईल की जांच की जाए जिससे कि पता चल सके कि उनका अभ्यर्थित्व वैध है या नहीं ।
- घ. नामांकन के समय प्राप्त राशि/विकास शुल्क विद्यालय के ~~बैंक~~ ^{कोष} में जमा किया गया या नहीं ।
- ड. निबंधित विद्यार्थियों में यदि में विद्यालय के ~~पंजीयन~~ ^{पंजीयन} की ~~वार्षिक~~ ^{वार्षिक} परीक्षा के ~~परिणत~~ ^{परिणत} से पंजीयन आवेदन पत्र को सत्यापित कर लिया जाय ।
- च. स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृति विद्यालय जिन्हें विद्यालय कोड तो प्राप्त है किन्तु जैसे विद्यालय निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुमति/प्रस्वीकृत है तो जैसे विद्यालय में प्रयाप्त संख्या में शिक्षक है और छात्रों को पठन पढ़ाने विधिवत हो रहा है अथवा कागज पर विद्यालय का अस्तित्व है ।
- छ. स्वतंत्र परीक्षार्थियों के मामले में विद्यार्थी के निवास वाले जिले के सक्षम पदाधिकारी से निर्गत उस जिला का आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।
- ज. स्वतंत्र विद्यार्थियों से संबंधित आवासीय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र पत्रधानाध्यापक से प्राप्त कर उसकी वैधता संबंधी जांच निर्गत करने वाले पदाधिकारी के कार्यालय से करा ली जाए ।
3. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2014 के लिए पंजीयन हेतु परीक्षार्थी की न्यूनतम आयु 01 मार्च 2013 को अनिवार्यता 14 /चौदह वर्ष हानी चाहिए । इससे कम उम्र के छात्र छात्राओं का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस मद में जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा । 14 वर्ष पूरा करने हेतु विद्यालय अभिलेख में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना जन्मतिथि में सुधार किया जाना नियम के प्रतिकूल है। इस पर कृपया निगरानी रखी जाए । 1 मार्च 2000 के बाद की जन्मतिथि के अभ्यर्थी वर्ष 2013 में पंजीकृत नहीं किए जायेंगे ।
4. सकेण्ड्री प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 314 दिनांक 7.6.2003 में निहित निर्देश एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियमावली 1964 के अध्याय की धारा 3 में वर्णित स्वतंत्र परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य है ।
- क. ऐसे अभ्यर्थी स्वतंत्र रूप से राज्य के किसी राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय से पंजीकृत होंगे ।
- ख. ऐसे अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आचरण प्रमाण पत्र एवं जन्मतिथि के संबंध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा ।
- ग. जन्म तिथि के संबंध में छात्र के पास यदि राज्य के मान्यता प्राप्त मध्य विद्यालय से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र है और उसमें जन्मतिथि अंकित है तो उसकी मान्यता दी जाएगी अन्यथा छात्र के अभिभावक को जन्मतिथि के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा प्राप्त शपथ पत्र/निबंधक /जन्म मृत्यु/ द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा ।
- घ. राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय जहां स्वतंत्र
5. अपने जिला में अवस्थित माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने उवाले सभी संस्थाओं को सरकारी अनुदेश के अनुपालन में ही विद्यार्थियों के पंजीयन आवेदन पत्र को अग्रसारित करने हेतु सभी विद्यालय प्रधान की एक बैठक बुलाकर इस संबंध में दृढ़ निर्देश दिये जाये। साथ साथ इसका अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय ।

6. राज्य के सब उच्चशिक्षित माध्यमिक विद्यालयों तथा इकाईनिष्ठ स्तर के दोरी महाविद्यालय जिसे माध्यमिक स्तर की पढ़ाई हेतु सम्बन्धन प्राप्त है, में (निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को नियमित रूप से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में पंजीयन हेतु उपरोक्त होने हेतु उपर वर्णिका 1 के 5 में वर्णित संकेतों से आदेश एवं अनुदेश की परिधि में माले जाएंगे।

उत्तेजनीय है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2014 के दोषाम विभिन्न जिलों के अनेक परीक्षा केंद्रों पर जिला परीक्षार्थी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जॉच दल द्वारा निरीक्षण में अपने वास्तविक उम्र से उम्र घटाकर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों को संकेत में कई मानले समिति को प्रतिवेदित थिए गए हैं। इन प्रतिवेदनों के अन्तार पर संबंधित परीक्षार्थियों के परीक्षाफल को स्थगित (withhold) किया गया एवं इन मामलों में उम्र के सम्बन्ध में संबंधित जिला के मेडिकल बोर्ड द्वारा सस सत्यापन हेतु अपुलम किया गया। उक्त अनुषणों के अन्तार पर सस विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ससत्र रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं से उम्र 18 एवं उम्र का सत्यापन पंजीयन हेतु ओ0 एम0 आर0 फार्म उपलब्ध कराने के पश्चात् जिला में गठित एक जमान जॉच दल द्वारा उम्र का सत्यापन करने के पश्चात् ही सुयोग्य परीक्षार्थियों का ओ0 एम0 आर0 समिति में प्रवेश किए जाएंगे। इस विशेष जॉच दल की रूप रेखा निम्न प्रकार की होगी।

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी - संयोजक
2. जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत एक विशेष रूप सभाहर्ता
3. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)

राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों के विद्यालय प्रधान अपने विद्यालय से उपरोक्त स्वतंत्र परीक्षार्थियों का ओ0एम0आर0 समेकित विवरणी एवं संगत अन्य अनिलेख तैयार कर अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी (जॉच समिति के संयोजक) के समक्ष प्रस्तुत करने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मौचोगरमक जॉच समिति की अनुपस्थिति ससि छात्र/छात्राओं का ओ0एम0आर0 विवरण विद्यालय परीक्षा समिति का अप्रसारित करेंगे।

उपर्युक्त विवरणों पर जॉच के उपरान्त ही ससि अनुपस्थित नाले विवरणों का पंजीयन आवदन प्रपत्र (ओ0एम0आर0 फार्म) समिति को भेजना सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि ससि एवं नाजायज ढंग से पंजीयन करा कर माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रकृति पर पूरी तरह अंकुश लग सके। इस पुर्णत कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है।

निम्नलिखित

राजमणि प्रसाद सिंह
(राजमणि प्रसाद सिंह) 26/6/13
अध्यक्ष
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

6. राज्य के नव उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों तथा इन्टरमिडिएट स्तर के वैसे महाविद्यालय जिसे माध्यमिक स्तर की पढाई हेतु संबन्धन प्राप्त है में /नियमित/ नामांकित छात्र/छात्राओं को नियमित रूप से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में पंजीयन हेतु उत्प्रेषित होने हेतु उपर कंडिका 1 से 5 में वर्णित सरकारी आदेश एवं अनुदेश की परिधि में माने जायेंगे ।

उल्लेखनीय है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2013 के दौरान विभिन्न जिलों के अनेक परीक्षा केन्द्रों पर जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जांच दल द्वारा निरीक्षण में अपने वास्तविक उम्र से उम्र धटाकर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों के परीक्षाफल को स्थगित (withheld) किया गया एवं इन मामलों में उम्र के सत्य हेतु संबंधित जिला के मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्र सत्यापन हेतु अनुरोध किया गया । उक्त अनुभवों के आधार पर अभ्यर्थी विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्र रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के दल द्वारा उम्र का सत्यापन करने के पश्चात ही सुयोग्य परीक्षार्थियों का ओ.एम.आर.समिति में प्राप्त किए जायेंगे । इस विशेष जांच दल की रूप रेखा निम्न प्रकार की होगी ।

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी-संयोजक
2. जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत एक वरीय उप समाहर्ता
3. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / माध्यमिक शिक्षा /

राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों के विद्यालय प्रधान अपने विद्यालय से उत्प्रेषित स्वतंत्र परीक्षार्थियों का ओ.एम.आर. समेकित विवरणी एवं संगत अन्य अभिलेख तैयार कर अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी /जांच समिति के संयोजक / के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी जांचोपरांत जांच कमिटी की अनुशंसा सहित सही छात्र/छात्राओं का ओ.एम.आर. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अग्रसारित करेंगे ।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर जांच के उपरांत ही सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों का पंजीयन आवेदन प्रपत्र /ओ.एम.आर.फार्म/समिति को भेजना सुनिश्चित किया जाये जिससे कि संदिग्ध एवं नाजायज ढंग से पंजीयन करा कर माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह अंकुश लग सके। इस पूनीत कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है।

विश्वासभाजन

ह./-राजमणि प्र. सिंह

26.6.13

/राजमणि प्रसाद सिंह/

अध्यक्ष

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ।

Annexure-2

25

14/13

03-08-13

कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना, मधेपुरा

कार्यालय-आदेश

अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक के0/427 दिनांक 26.06.2013 एवं प्रभारी पदाधिकारी जिला गोरखीय शाखा, मधेपुरा के पत्रांक 1410 ज०0 दिनांक 12.07.2013 के आशोक में वार्षिक मासिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित होने हेतु विद्यालयों द्वारा सही अभ्यर्थित्व वाले नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों के पंजीयन की जाँच हेतु जाँच समिति का गठन किया गया है जो निम्न रूप में है :-

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा - संयोजक
2. श्री संदीप कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा -
3. श्री विनायक पाण्डेय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना, मधेपुरा -


सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/स्थापना अनुगति प्राप्त विद्यालय के विद्यालय के विद्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक के0/427 दिनांक 26.06.2013 (अद्यापति संलग्न) का अनुपालन करते हुए सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों का पंजीयन ओ0एम0आर0 प्रपत्र भरवाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि विद्यालयों से भरा हुआ ओ0एम0आर0 पत्र जमा होने पर उरी जाँच समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1711 मधेपुरा दिनांक 03/08/2013

प्रतिलिपि:- जिले के सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/स्थापना अनुगति प्राप्त विद्यालय के विद्यालय के विद्यालय प्रधान को सूचनाएँ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा।
03-08-13

4.

कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना मधेपुरा
कार्यालय आदेश

अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक के./427 दिनांक 26.6.2013 एवं प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा मधेपुरा के पत्रांक 1410 गो. दिनांक 12.7.2013 के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिल होने हेतु विद्यालयों द्वारा सही अभ्यर्थित्व वाले नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों के पंजीयन की जांच हेतु जांच समिति का गठन किया गया है जो निम्न रूप में है:-

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा संयोजक
2. श्री संदीप कुमार सिंह वरीय उप समाहर्ता मधेपुरा
3. श्री विनायक पाण्डेय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना मधेपुरा-

सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के विद्यालय के विद्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक के./427 दिनांक 26.6.2013 /छाया प्रति संलग्न/ का अनुपालन करते हुए सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों का पंजीयन ओ.एम.आर.प्रपत्र भरवाना सुनिश्चित करेंगे ।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना मधेपुरा को निर्देश दिया जाता है कि विद्यालयों से भरा हुआ ओ.एम.आर. पत्र जमा होने पर उसे जांच समिति के सिमक्ष उपस्थापित करेंगे ।

ह./-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक 1711 मधेपुरा दिनांक 1.8.2013

प्रतिलिपि:- जिले के सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के विद्यालय के विद्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

ह./-अस्यष्ट
1.8.2013
जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा

Annexure-3

26

कार्यालय- जिला शिक्षा पट्ट (अधकारी), मधेपुरा।

पत्रांक 1752 /

प्रेषक- जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में

सभी राजकीय कुल/राजकीय/प्राजैक्ट/उच्चमैट/विद्यालयों के प्रधान/स्थापना अनुमति प्राप्त (अनुसूचित) विद्यालय के प्रधान।

मधेपुरा, दिनांक 06/08/2013

विषय- महाशय,

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 हेतु निर्गत पंजीयन प्रपत्र की जाँच के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अंकित करना है कि अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक 427 दिनांक 26.06.13 एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला सोपनीय शाखा मधेपुरा के पत्रांक 1410 (गो) दिनांक 13.08.13 एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के डा.पत्रांक 1711 दिनांक 01.08.13 के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 सम्मिलित होने हेतु विद्यालयों द्वारा सही अन्वर्थत्व वाले नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों के पंजीयन की वेदता की जाँच हेतु प्रत्येक विद्यालय से निम्नलिखित रूप से जाँच निर्धारित की जाती है।

क्रमांक	पत्रांक का नाम	जाँच हेतु उपरिथत होने की तिथि
1	बौसा मकलपड़ा	13.08.13
2	आलयनगर रिहेंदर	14.08.13
3	बिहारगंज धैलाड	16.08.13
4	उदायेश्वरगंज	17.08.13
5	कुमारखंड गम्हरिया	18.08.13
6	मुरलीगंज	19.08.13
7	रिहेंदर संकरपुर	20.08.13
8	मधेपुरा	21.08.13

निर्देश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के डा.पत्रांक 1711 दिनांक 01.08.13 के साथ सहित अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक 427 दिनांक 26.06.13 के आलोक में जाँच हेतु जाँच समिति के समक्ष उपरोक्त विषयक के जाँच हेतु विद्यालय का आदर्शपत्र सही अनिलेख उपरोक्त निर्धारित तिथि को जाँच समिति के समक्ष उपरोक्त रूप से जमा करें। ताकि जाँचोपरान्त आपके द्वारा समर्पित पंजीयन आदेशन प्रपत्र को अग्रसरित करने के संबंध में आवश्यक कारवाही की जा सके।

अध्यापक

06/08/2013
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

पत्रांक- 1752

प्रेषक

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा ।

सेवा में

सभी राजकीय कृत/राजकीय/प्रोजेक्ट/सत्कमित/वित रहित
स्थापना अनुमति प्राप्त/अनुयानित/विद्यालय के प्रधान ।

मधेपुरा दिनांक 6.8.2013

विषय:- वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 हेतु निर्गत पंजीयन प्रपत्र की जांच के संबंध में ।

महाशय

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अंकित करना है कि अध्यक्ष विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक-
के/427 दिनांक- 26.6.13 एवं ग्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा मधेपुरा के पत्रांक 1410 /गो./
दिनांक 12.7.13 एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के ज्ञापांक 1711 दिनांक 1.8.13 के आलोक में वार्षिक माध्यमिक
परीक्षा 2014 सम्मिलित होने हेतु विद्यालयों द्वारा सही अभ्यर्थित्व वाले नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों के पंजीयन
की वैधता की जांच हेतु प्रखंडवार निम्नांकित रूप से तिथि निर्धारित की जाती है।

क्रमांक	प्रखंड का नाम	जांच हेतु उपस्थित होने की तिथि
1	चौसा ग्वालपडा	13.8.13
2	आलमनगर पुरैनी	14.8.13
3	बिहारीगंज धौलाड	16.8.13
4	उदाकिशुनगंज	17.8.13
5	कुमारखंड गम्हरिया	18.8.13
6	मुरखीगंज	19.8.13
7	सिंहेश्वर शंकरपुर	20.8.13
8	मधेपुरा	21.8.13

निर्देश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के ज्ञापांक 1711 दिनांक 1.8.13 के साथ संलग्न
अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक के./427 दिनांक 20.8.13 में अंकित 01 से 05 में वर्णित
बिन्दु के जांच हेतु विद्यालय का आवश्यक सभी अभिलेख उपरोक्त निर्धारित तिथि को जांच समिति के समक्ष
उपस्थापित करेंगे । ताकि जांचोपरांत आपके द्वारा समर्पित पंजीयन आवेदन प्रपत्र को अग्रसारित करने के संबंध
में आवश्यक कार्यवाई की जा सके ।

विश्वासभाजन
ह./-अस्पष्ट
जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा ।

Annexure- 4 27

कार्यालय- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।
(माध्यमिक शिक्षा)

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 हेतु पंजीयन प्रपत्र को जाँच प्रतिवेदन

अध्यक्ष, विहार विद्यालय पत्रिका समिति पटना के पत्रांक 100/47/2013 दिनांक 06.06.13 के द्वारा दिने गये विदेशस्थ आलोचकों में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को आपाक प्रपत्र दिनांक 06.06.13 के साथ जाँच हेतु सूचित किया गया करते हुए पत्रांक 1752 दिनांक 06.08.13 के द्वारा विद्यालयों का वर्ष 2014 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन जाँच हेतु प्रत्येक विद्यालय की विधि निर्धारित की गयी।

प्रधान-अध्यक्षों के द्वारा जाँच के क्रम में दिने गये प्रतिवेदन की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की गयी है। आतंक है कि इस जिले में स्वतंत्र रूप से सम्मिलित प्रत्येक छात्र/छात्राओं का पंजीयन विद्यालयों के द्वारा जारी किया गया है। प्रधान-अध्यक्षों के द्वारा दिने गये प्रतिवेदन को जाँच के क्रम में उपलब्ध कराया गया अभिनेकों से प्रतीत होता है कि विद्यालयों द्वारा नामित छात्र/छात्राओं का पंजीयन प्रपत्र करा गया है।

(K) 22/8/13
जिला कार्यालय पदाधिकारी,
मधेपुरा
22/8/13

(A) 21/8/13
जिला उप-पदाधिकारी,
मधेपुरा

(M) 22/8/13
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा
22/8/13

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा ।

/माध्यमिक शिक्षा/

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 हेतु पंजीयन प्रपत्र के जांच प्रतिवेदन

अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक के./427 दिनांक 26.6.12 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के ज्ञापांक 427 दिनांक 4.8.13 के द्वारा जांच हेतु समिति का गठन करते हुए पत्रांक 1752 दिनांक 6.8.13 के द्वारा विद्यालयों का वर्ष 2014 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन जांच हेतु प्रखंडवार जांच की तिथि निर्धारित की गयी ।

प्रधानाध्यापकों के द्वारा जांच के कम में दिये गये प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। ज्ञातव्य हो कि इस जिले में स्वतंत्र रूप से सम्मिलित समिति छात्र/छात्राओं का पंजीयन विद्यालयों के द्वारा नहीं किया गया है। प्रधानाध्यापकों के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं जांच के कम में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से प्रतीत होता है कि विद्यालयों द्वारा नामांकित छात्र/छात्राओं का पंजीयन प्रपत्र भरा गया है।

ह./-अस्पष्ट

22.8.13

जिला कार्यकम पदा.

/म.शि./ मधेपुरा

ह./-अस्पष्ट

22.8.13

वरीय उपसमाहर्ता

मधेपुरा

ह./-अस्पष्ट

22.8.13

जिला शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा

कार्यालय - जिला शिक्षा परामर्शिका, मधेपुरा
(माध्यमिक शिक्षा)

पत्रांक 142 (एच)

सेवाक - जिला कार्यक्रम परामर्शिका
(माध्यमिक शिक्षा) मधेपुरा।

सेवा में,
सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना।

मधेपुरा, तारीख 26.08.2013

विषय:- वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2013 हेतु पंजीयन पत्र के जांच के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक 107/227 दिनांक 25.08.13 के द्वारा दिवस गये विदेश के आलोक में जांच सांगी-काय की गई जांच का जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन
(26.8.13)

जिला कार्यक्रम परामर्शिका,
(माध्यमिक शिक्षा) मधेपुरा

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा ।
/ माध्यमिक शिक्षा /

पत्रांक 142 / उच्च /

प्रेषक

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / मा.शि. / मधेपुरा ।

सेवा में

सचिव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ।

मधेपुरा दिनांक 26.8.13

विषय:- वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 हेतु पंजीयन प्रपत्र के जांच के संबंध में ।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक के./427 दिनांक 25.6.13 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जांच समिति द्वारा की गयी जांच का जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

ह./-अस्पष्ट

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

/शि./मधेपुरा ।

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़पुरा ।
आर.ए. - गांधीगिरी शिक्षा

पत्रांक 143(उच्च)

प्रेषक: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
आर.ओ., गढ़पुरा ।

सेवा में

अधिव
निलर विद्यालय परीक्षा (किति)
पटना ।

विषय:- गढ़पुरा दिनांक 26/12/2013
आगामी गांधीगिरी परीक्षा हेतु पंजीमन ले
संबंधित ग्रेड हेतु 0MR फार्म / डाटा प्रति एवं
शुल्कादि की राशि जमा करने के संबंध में।
महाशय

उपर्युक्त विषयोंकित संदर्भ में अवदीय
विज्ञापि सं 37/2013 के आलोक में संशोधन करने
के आगामी गांधीगिरी परीक्षा हेतु पंजीमन ले संबंधित
ग्रेड हेतु 0MR फार्म, डाटा प्रति एवं शुल्कादि की
राशि (बैंक चालान के रूप में) बिना विसम्बन्ध के एवं
विलम्ब रूप से स्वयं जिले के संबंधित विद्यालय
प्रधान से प्राप्त हुआ है, जिसे संबंधित पुन्नी के
अनुसूप विशेषांक द्वारा अवदीय सेवा में समर्पित
की जानी है।

अनु-संशोधन ।

निदेशात्मक आदेश
(126/81)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
आर.ओ., गढ़पुरा ।
25/12/13

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा
शाखा माध्यमिक शिक्षा

पत्रांक 143 /उच्च/

प्रेषक

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
म.शि. मधेपुरा ।

सेवा में

सचिव
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ।

मधेपुरा दिनांक 26.8.2013

विषय:- आगामी माध्यमिक परीक्षा हेतु पंजीयन से संबंधित भरे हुए ओ.एम.आर. फार्म डाटा प्रति एवं शुल्कादि की राशि जमा करने के संबंध में ।

महाशय

उपर्युक्त विषयांकित संदर्भ में भवदीय विज्ञप्ति सं. 37/2013 के आलोक में अंकित करना है कि आगामी माध्यमिक परीक्षा हेतु पंजीयन से संबंधित भरे हुए ओ.एम.आर. फार्म डाटा प्रति एवं शुल्कादि की राशि /बैंक चालान के रूप में/ बिना विलंब दण्ड के एवं विलंब दण्ड के साथ जिले के संबंधित विद्यालय प्रधान से प्राप्त हुआ है। जिसे संलग्न सूची के अनुरूप विशेष वाहक द्वारा भवदीय सेवा में समर्पित की जाती है।

अनु-यथोक्त

विश्वासभाजन

ह./-अस्पष्ट

26.8.13

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
म.शि.मधेपुरा

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।
(माध्यमिक शाखा)

पत्रांक 4115-7

प्रेषक- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(माध्यमिक शिक्षा) मधेपुरा।

सेवा में,

- प्रधानाध्यापक / प्रभारी, प्रधानाध्यापक
1. मोरमाल उच्च वि० कबिगाही।
 2. कारी अनन्त उच्च वि० मधेली बाजार।
 3. राजनन्दन प्रसाद उच्च वि० प्रतापनगर।
 4. ए० पी० सी० उच्च वि० मुरलीगंज।
 5. मुकुणेश्वरी (मुरही) उच्च वि० मुरलीगंज।
 6. राजकीय उच्च वि० अमारी।
 7. बी० एल० +2 वि० मुरलीगंज।
 8. प्रस्ताधित उच्च वि० गम्हरिया।
 9. सियाराम उच्च वि० जगन्नी।

मधेपुरा, दिनांक 11.11.2013

विषय- वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित कराने हेतु फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र/छात्राओं का पंजीयन (OMR) प्रपत्र भरने के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत करना है कि जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के निदेशानुसार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित प्रत्येक शिक्षा पदाधिकारी से कराया गया। प्रत्येक शिक्षा पदाधिकारी, शंकरपुर के पत्रांक 231 दिनांक 06.11.13, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मुरलीगंज के पत्रांक 1239 दिनांक 12.11.13 एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गम्हरिया के पत्रांक 718 दिनांक 01.11.13 द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रक्रियेका निम्नलिखित संख्या में प्राप्त हुआ है। आप के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र/छात्राओं का नामांकन करने के कारण वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित होने वाले का सूचीकरण प्रपत्र (OMR) भरने में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

क्रमांक	प्रखंड	विद्यालय का नाम	फर्जी प्रमाण पत्र
1	शंकरपुर	भोरलाल उच्च वि० कबिगाही	19
2	शंकरपुर	कारि अनन्त उच्च वि० मधेली बाजार	07
3	मुरलीगंज	राजनन्दन प्रसाद उच्च वि० प्रतापनगर	102
4	मुरलीगंज	ए० पी० सी० उच्च वि० मुरलीगंज	01
5	मुरलीगंज	मुकुणेश्वरी (मुरही) उच्च वि० मुरलीगंज	08
6	मुरलीगंज	राजकीय उच्च वि० अमारी	04
7	मुरलीगंज	बी० एल० +2 वि० मुरलीगंज	08
8	गम्हरिया	प्रस्ताधित उच्च वि० गम्हरिया	18
9	गम्हरिया	सियाराम उच्च वि० जगन्नी	08

अतएव आप तीन दिनों के अन्दर स्पष्ट करे कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र/छात्राओं का नामांकन करने एवं सबक छात्र/छात्राओं का सूचीकरण प्रपत्र (OMR) भरने के कारण में क्यों नहीं आपकी विरक्त आग्रहक निगाहीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाय। यदि आपने को स्वयं प्रकृत की उपस्थिति करना सुनिश्चित करेगा।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(माध्यमिक शिक्षा) मधेपुरा।

13/11/13

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा ।

/ माध्यमिक शाखा /

पत्रांक 405

प्रषक

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

/ माध्यमिक शिक्षा / मधेपुरा ।

संख्या में

प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक

1. गोरैलाल उच्च वि. कबियाही ।
2. कारी अनन्त उच्च वि. मधेली बाजार ।
3. राजनन्दन प्रसाद उच्च वि. प्रतापनगर ।
4. ए.पी.सी. उच्च वि. मुरलीगंज ।
5. भुवनेश्वरी / मुरहो / उच्च वि. मुरलीगंज ।
6. राजकीय उच्च वि. अमारी ।
7. बी.एल. -2 वि. मुरलीगंज ।
8. प्रस्तावित उच्च वि. गम्हरिया ।
9. सिधाराम उच्च वि. जगवनी ।

मधेपुरा दिनांक 14.11.2013

विषय- वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित कराने हेतु फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र/छात्राओं को पंजीयन /ओ.एम.आर./ प्रपत्र भराने के संबंध में ।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि जिला पदाधिकारी मधेपुरा के निर्देशानुसार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के जांच संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से कराया गया । प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शंकरपुर के पत्रांक 231 दिनांक 6.11.13 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुरलीगंज के पत्रांक 1239 दिनांक 12.11.13 एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गम्हरिया के पत्रांक 716 दिनांक 1.11.13 द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन निम्नांकित संख्या में प्राप्त हुआ है। आप के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र/छात्राओं का नामांकन करने के कारण वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित होने वाले को सूचीकरण प्रपत्र/ओ.एम.आर./ भराने में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

क्रमांक	प्रखंड	विद्यालय का नाम	फर्जी प्रमाण पत्र
1	शंकरपुर	गोरैलाल उच्च वि. कबियाही	19
2	शंकरपुर	कारी अनन्त उच्च वि. मधेली बाजार	07
3	मुरलीगंज	राजनन्दन प्रसाद उच्च वि. प्रतापनगर	102
4	मुरलीगंज	ए.पी.सी. उच्च वि. मुरलीगंज	01
5	मुरलीगंज	भुवनेश्वरी / मुरहो / उच्च वि. मुरलीगंज	08
6	मुरलीगंज	राजकीय उच्च वि. अमारी	04
7	मुरलीगंज	बी.एल. -2 वि. मुरलीगंज	08
8	गम्हरिया	प्रस्तावित उच्च वि. गम्हरिया	18
9	गम्हरिया	सिधाराम उच्च वि. जगवनी	08

अतएव आप तीन दिनों के अंदर स्पष्ट करें कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र/छात्राओं का नामांकन करने एवं उक्त छात्र/छात्राओं का सूचीकरण प्रपत्र /ओ.एम.आर./ भराने के आरोप में क्यों नहीं आपके विरुद्ध आवश्यक विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही की जाय । साथ ही डाटा प्रति के छाया प्रति भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन

ह./-अस्पष्ट

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

/म.शि./ मधेपुरा ।

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा

/ माध्यमिक शाखा /

पत्रांक 406 / नि. /

प्रेषक

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

/ माध्यमिक शिक्षा / मधेपुरा ।

सेवा में

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा दिनांक 14.11.2013
14.11.2013

विषय:- फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित कराने हेतु छात्र/छात्राओं का सूचीकरण /ओ.एम.आर./प्रपत्र भराने वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 289-13 दिनांक 12.9.13 के द्वारा आप को जिले के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/उत्कमिक/वित्तरहित/स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा प्राप्त शैक्षणिक सत्र 2012-13 में वर्ग नवम में नामांकित छात्र/छात्राओं का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आपको उपलब्ध कराया गया था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2013-14 में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित कराने हेतु का सूचीकरण /ओएमआर/ प्रपत्र भराया गया ।

जिला पदाधिकारी मधेपुरा के निर्देशानुसार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा से दूरभाष पर हुयी वार्ता के आलोक में आपको निर्देश दिया जाता है कि वैसे उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक जिन्होंने फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन किए हैं उन उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करा कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन

ह./-अस्पष्ट

14.11.13

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

/ मा.शि. / मधेपुरा ।

पत्रांक 405 में स्पष्टीकरण पूछा 14.11.13 406 में ही एक ही डेट में कम से कम तीन दिन का समय किया जाना था ।

Hindustan

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या 04/2014 09 Jan 2014

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2014 से संबंधित

एतद् द्वारा दिनांक 06 मार्च 2014 से आयोजित होनेवाली वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थी अभिभावक, माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करनेवाले सभी विद्यालय प्रधान/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि नियमित एवं स्वतंत्र रूप से सम्मिलित छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गए पंजीयन ओएमओआरओ फार्म में दर्ज की गई प्रविष्टि के आधार पर पंजीयन रसीद तैयार कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में भेजे जा रहे हैं।

इसके साथ ही वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित होने हेतु सादा परीक्षा आवेदन फार्म/सादा समेकित विवरणी (डाटा फार्म) भी भेजी जा रही है।

विद्यालय प्रधान स्वयं अधव अपने प्राधिकृत दूत के माध्यम से अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से अपने विद्यालय से संबंधित सामग्री निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त करेंगे एवं जमा करेंगे।

कार्यक्रम	शुल्क सरचना	शुल्क राशि
1. विद्यालय प्रधान द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से पंजीयन रसीद/सादा परीक्षा आवेदन फार्म आदि वितरण की तिथि : 10.01.2014	[A] सामान्य कोटि के परीक्षार्थी : (1) सादा परीक्षा आवेदन फार्म शुल्क - (2) परीक्षा शुल्क - (3) विविध शुल्क - (4) अंक पत्र शुल्क - (5) शुल्क (विज्ञान आन्तरिक) -	20 = 00 90 = 00 300 = 00 125 = 00 30 = 00
2. विद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म एवं शुल्कादि प्राप्त करने की तिथि : (i) बिना विलम्ब दण्ड के 22.01.2014 (ii) विलम्ब दण्ड के साथ 25.01.2014	(6) व्यावहारिक परीक्षा शुल्क (केवल गृह विज्ञान/नृत्य/संगीत/तलित कला के परीक्षार्थियों के लिए) कुल रुपये-	565 = 00 15 = 00
3. विधिवत भरे गए फार्म एवं शुल्कादि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की तिथि : 27.01.2014	[B] आरक्षित कोटि के परीक्षार्थी : (1) सादा परीक्षा आवेदन फार्म- (2) विविध शुल्क- (3) अंक पत्रक शुल्क- (4) शुल्क (विज्ञान आन्तरिक) - कुल रुपये-	20 = 00 300 = 00 125 = 00 30 = 00 475 = 00
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से परीक्षा समिति कार्यालय में फार्म एवं शुल्कादि प्राप्त करने की तिथि : 29.01.2014	(5) व्यावहारिक परीक्षा शुल्क (केवल गृह विज्ञान/नृत्य/संगीत/तलित कला के परीक्षार्थियों के लिए) कुल रुपये-	15 = 00 490 = 00

नोट : (i) विद्यालय से उत्प्रेषित छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुरूप जिला शिक्षा पदाधिकारी सादा परीक्षा आवेदन पत्र विद्यालय प्रधान को प्राप्त करवायेंगे। सादा परीक्षा आवेदन फार्म की राशि एक साथ चालान के माध्यम से प्राप्त किये जाएंगे।
(ii) विलम्ब दण्ड शुल्क 100/- प्रति परीक्षार्थी देय है।